भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2962

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक और प्राकृतिक कृषि हेतु सहायता

2962. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में यूरिया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) और अन्य उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग हेतु आरंभ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जैविक कृषि द्वारा उत्पन्न खाद्यान्नों की खरीद हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)</u>

(क) सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती जैसी रसायन मुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है।

(ख) एवं (घ) परंपरागत कृषि विकास योजना योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रमाणन के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीकेवीवाई के तहत वर्ष 2015-16 से (31.12.2025 तक) बिहार राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। जिलावार डेटा केंद्रीय स्तर पर संग्रहित नहीं किया जाता है।

(ग) जैविक खेती के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध - I

वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना के तहत राज्यवार वित्तीय उपलब्धियां (31.12.2025 तक)	
राज्य का नाम	**रिलीज (लाख रुपये में)**
आंध्र प्रदेश	38437.49
बिहार	**7244.08**
छत्तीसगढ़	10846.92
गुजरात	1863.12
गोवा	1192.90
हरियाणा	104.56
झारखंड	3686.42
कर्नाटक	10049.36
केरल	7322.97
मध्य प्रदेश	15919.63
महाराष्ट्र	16093.01
ओडिशा	9941.10
पंजाब	3365.55
राजस्थान	18605.26
तमिलनाडु	6236.35
तेलंगाना	3576.78
उत्तर प्रदेश	29395.08
पश्चिम बंगाल	4758.01
असम	3012.55
अरुणाचल प्रदेश	234.56
मिजोरम	469.61
मणिपुर	163.46
नागालैंड	333.72
सिक्किम	1848.88
त्रिपुरा	687.05
मेघालय	448.12
हिमाचल प्रदेश	4123.25
जम्मू और कश्मीर	979.81
उत्तराखंड	45675.28
अंडमान और निकोबार	163.00
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1235.55
दिल्ली	471.45
पुदुचेरी	97.82
चंडीगढ़	77.42
लक्षद्वीप	227.20
लद्दाख	541.85
सकल योग	**249429.16**

****